संख्या:95/2015/1011जेएल/22-3-15-100(30)/2015

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 15 अप्रैल, 2015***

विषय: जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी दिलीप वर्मा उर्फ चौधरी उर्फ डी0के0 उर्फ अविनाश पुत्र श्री रामपाल वर्मा, निवासी जनपद-फैजाबाद को प्रशासनिक आधार पर केन्द्रीय कारागार, वाराणसी स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-10729/सामा-1(3)/गोण्डा मं0/2015, दिनांक 24-03-2015 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी दिलीप वर्मा उर्फ चौधरी उर्फ डी0के0 उर्फ अविनाश पुत्र श्री रामपाल वर्मा, निवासी जनपद-फैजाबाद को प्रशासनिक आधार पर केन्द्रीय कारागार, वाराणसी स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदी को स्थानान्तरित किये जाने के पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739-महाराष्ट्र राज्य बनाम सईद सुहैल शेख बनाम अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार मा0 विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।**

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या:95/2015/1011जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।
2. पुलिस अधीक्षक, गोण्डा।
3. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोण्डा/केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in